संख्या : 383 /2019/xxvii(10)/27(08)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक:10, दिसम्बर, 2019

विषयः–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01–01–2016 से पूर्व के **पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/37/2016–P&PW(A) दिनांक 12.05.2017 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या–205/XXVII(10)/2018–27(8) 2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर–6 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.11.2018 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया जायेगा।

4– उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।